# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह** (आई0ए0एस0)

**प्रकरण संख्या– 1/2016**
बउनवान

मॉगीलाल उम्र 52 साल पुत्र श्री शंकरलाल जाति–बैरवा निवासी–वार्ड नं0 14 सीसवाली, तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(प्रार्थी )**

बनाम

1– श्रीनाथ उम्र 50 वर्ष पुत्र श्रीलाल जाति–सुनार निवासी–सीसवाली तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज0)
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां **(अप्रार्थीगण)**

**प्रार्थनापत्र धारा–14(4) भू आवंटन नियम, 1970**
**उपस्थितिः**–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2.श्री घर्मेन्द्र चौधरी,अभिभाषक **(अप्रार्थी कम–1)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**निर्णय दिनांक– 02.05.2018**

प्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक प्रार्थनापत्र धारा, 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी कम–1 कस्बा सीसवाली तहसील–मॉगरोल के निवासी है। प्रार्थी भूमिहीन अनुसूचित जाति बेरवा समुदाय से है, जो मात्र 5 बीघा भूमि को काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है जबकि अप्रार्थी कम–1 सुनार जाति का सदस्य है तथा बेंल्डिग की दुकान लगाकर अपनी जिन्दगी का निर्वाह कर रहा है। अप्रार्थी ने हल्का पटवारी से मिलकर राजस्व भू आवंटन केम्प सीसवाली में दिनांक 22.6.1989 को खसरा नम्बर 425 की 5 बीघा भूमि का आवंटन अपने नाम करा लिया, खसरा नम्बर 425 रकबा काफी बडा है। आवंटन पश्चात् आज तक अप्रार्थी कम–1 ने साबिक खसरा नम्बर 425 की किसी भी भूमि पर काश्त नहीं किया है और आज भी काबिज काश्त नहीं है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने बिना काबिज काश्त देखे अप्रार्थी कम–1 को सन् 2012 में खसरा नम्बर 844/5897 रकबा 0.80 है0 की खातेदारी दे दी, जो खारिज योग्य है।

साथ हीं लिखा कि प्रार्थी के पिता शंकरजी के नाम उक्त साबिक खसरा नम्बर 425 पर कब्जा देखते हुये तहसीलदार, मॉगरोल उपनिवेशन ने नोटिस जारी किया था, नोटिस आज तक प्रार्थी को मिलते रहे है। प्रार्थी भी नोटिस की तामील होने पर जुर्माना अदा करते रहे है। नोटिस खसरा नम्बर 844 के है जो प्रमाणित करता है कि खसरा नम्बर 844 पर प्रार्थी का आज भी कब्जा है। प्रार्थी को

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

नवीन नोटिस मि.नं. 335/2015 से खसरा नम्बर 844 का प्राप्त हुआ है। नायब तहसीलदार, मॉगरोल .ख0नं0 844/5897 रकबा 0.80 है0 पर प्रार्थी का कब्जा मानते है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी का आवंटन दिनांक 22.6.1989 से आज तक कब्जा नहीं रहा है, आवंटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी को साबिक खसरा नम्बर 425 की 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसके हाल खसरा नम्बर 843 रकबा 1.65 है0 खसरा नम्बर 844 रकबा 0.97 है0 दर्ज हुये है। अप्रार्थी कम–1 को खसरा नम्बर 844/5897 रकबा 0.80 है0 की खातेदारी दे दी गई है। अप्रार्थी खातेदारी मिलने के बाद बलपूर्वक कब्जा लेने पर आमादा है। साबिक खसरा नम्बर 425 काफी बडा है जिसके हाल खसरा नम्बर 425 मिन है। अप्रार्थी कम–1 का उक्त आराजी पर आज तक कहीं पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी कम–1 का आवंटन दिनांक 22.6.1989 निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल से मूल भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में रेकार्ड प्राप्त होने पर बहस विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अप्रार्थी की मिलीभगत अप्रार्थी आवंटन की पात्रता नहीं रखने के बावजूद अप्रार्थी को केम्प सीसवाली में साबिक दिनांक 22.6.1989 को खसरा नम्बर 425 की 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी है। आवंटित आराजी ख0नं0 425 पर आवंटन के पूर्व से प्रार्थी के पिता शंकरजी का कब्जा चला आ रहा है। तब से प्रार्थी निर्बाध रूप से लगभग 40 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा बडी मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी ने ग्राम सीसवाली में बेल्डिग की दुकान लगा रखी है। अप्रार्थी कृषक नहीं है ना हीं आवंटित आराजी पर काबिज काश्त रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की कोई पालना नहीं की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के बावजूद आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये गये है जो पूर्णतया कानून विरूद्व है। इसलिये आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

साथ हीं कथन किया कि खसरा नम्बर 425 काफी बडा है। जिसके बाद सेटलमेंट मिन नम्बर ख0नं0 843 रकबा 1.65 है0 व ख0नं0 844 रकबा 0.97 है0 बने है। प्रार्थीगण ख0नं0 425 जिसके नये नम्बरान् 843, 844 बने पर, उक्त आराजी पर प्रार्थीगण पिता के समय से काबिज काश्त होने से सन् 1968 से अतिक्रमण के नोटिस प्राप्त हो रहे है, जो सन् 2015 तक प्राप्त हुये है जिनका जुर्माना प्रार्थी जमा करता आ रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवंटित आराजी पर प्रार्थी का हीं कब्जा है। अप्रार्थी कभी काबिज काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी को खातेदारी भी गलत दी गयी है। अतः अप्रार्थी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत डीएनजे(एससी)2004 पेज 263 की प्रति पेश की।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थी अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ग्राम सीसवाली का निवासी है। अप्रार्थी भूमिहीन होने से, अप्रार्थी को केम्प सीसवाली के मजमेआम में दिनांक 22.06.1989 को ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नम्बर 425 की 5 बीघा आवंटित की गयी थी तथा दिनांक 08.09.1989 को दखल देकर, कब्जा सम्भलाया गया था। तभी से आवंटित आराजी पर अप्राथी काबिज काश्त है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा होने पर, अप्रार्थी को साबिक ख0नं0 425 मिन के बाद सेटलमेंट बने नये नम्बर 844/5897 रकबा 0.80 है0 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थी द्वारा जिन नोटिस का हवाला देकर अपना कब्जा बता रहे है वह अन्य भूमि है क्योकि ख0नं0 425 का काफी बडा रकबा है जिसके बाद सेटलमेंट ख0नं0 843 रकबा 1.65 व ख0नं0 844 रकबा 0.97 बने है। प्रार्थी का आवंटित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। यदि प्रार्थी का किसी अन्य भूमि पर कब्जा है तो वह पैमाईश कराकर, उज्र कर सकते है। प्रार्थी का अप्रार्थी की भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। वैसे भी अप्रार्थी को विधिवत आवंटन होने के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् उसके अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाये कि उक्त आवंटन फ्रोड तरीके से किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र निराधार तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत आरआरटी 2014(2) पेज 1150 व आरआरटी 2017(2) पेज 972 की प्रति पेश की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि उक्त आवंटित आराजी पर प्रार्थी पिता के समय से काबिज काश्त है। आवंटन गलत हुआ है तथा आवंटी को नियम विरुद्ध तरीके से खातेदारी अधिकार दिये गये है। इसलिये आवंटन निरस्त फरमाया जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम–1 अभिभाषक का तर्क रहा है कि उक्त आराजी का विधिवत आवंटन हुआ है तथा दखल अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थी को भू आवंटन कमेटी केम्प सीसवाली द्वारा दिनांक 22.6.1989 को आराजी ख0नं0 425 रकबा 5 बीघा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है। जिसपर दिनांक 8.9.1989 को दखल दिया गया है। आवंटित आराजी 425 के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 844 बने जिसके मिन नं0 844/5897 रकबा 0.80 है0 कायम हुए है, जो बदस्तूर खाते में दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी को उक्त आराजी पर दिनांक 25.1.2007 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उक्त आवंटन पर प्रार्थी की आपत्ति रहीं है कि आवंटित आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 5 बीघा भूमि पर उसका कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी का उक्त कथन तार्किक व मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योकि आवंटित आराजी ख0नं0 425 काफी बडा रकबा रहा है, जिसके बाद सेटलमेंट ख0नं0 843 रकबा 1.65 है0 व 844 रकबा 0.97 है0 मिन नम्बर बने है। प्रार्थी को उक्त नोटिस ख0नं0 844, 843, 897 के लिये दिये गये है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी को किस भूमि के लिये नोटिस जारी किये गये है। चूकि वर्तमान में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि अप्रार्थी क्रम–1 श्रीनाथ पुत्र श्रीलाल जाति–सुनार नि. सीसवाली को आवंटित आराजी खसरा 425 रकबा 5 बीघा

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

भूमि अप्रार्थी को दिनांक 22.06.1989 को विधिवत कीमतन आवंटित हुई है तथा वर्तमान में दिनांक 25.01.2007 को खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके है। आवंटन में किसी प्रकार का कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)